

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वीं बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 844वीं बैठक दिनांक 23.04.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-**

क्र	प्रकरण क्र.	अधि सूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9691/2023	1 (a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	10983/2023	1 (a)	गुना	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
3.	10984/2023	1 (a)	शिवपुरी	पत्थर व मुरुम खदान	For ToR	स्वीकृत
4.	10985/2023	1 (a)	गुना	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
5.	10986/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
6.	10987/2023	1 (a)	जबलपुर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10988/2023	1 (a)	आगर मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	10989/2023	1 (a)	सतना	फर्शी पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
9.	10990/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
10.	10991/2023	1 (a)	उज्जैन	पत्थर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	10992/2023	1 (a)	रतलाम	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
12.	10993/2023	1 (a)	छतरपुर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	10994/2023	1 (a)	आगर-मालवा	पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	10995/2023	1 (a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
15.	11061/2023	1 (a)	श्योपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	10737/2023	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
17.	P2/23/2024	1 (a)	आगर-मालवा	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
18.	P2/03/2023	1 (a)	खरगौन	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

19.	P2/58/2024	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
20.	P2/29/2024	1 (a)	रीवा	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
21.	9837/2023	1 (a)	सिंगरौली	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
22.	P2/59/2024	1 (a)	ग्वालियर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
23.	P2/60/2024	1 (a)	आगर-मालवा	पत्थर एवं एम-सेण्ड	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	9483/2022	1 (a)	इंदौर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
25.	9392/2022	1 (a)	अनूपपुर	लेटराईट, ऑकर एवं व्हाईट क्ले	ToR में संशोधन	स्वीकृत
26.	P2/61/2024	1 (a)	बड़वानी	पत्थर खदान	For ToR	स्पष्टीकरण एवं Delisted
27.	P2/62/2024	1 (a)	सतना	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
28.	P2/64/2024	3 (b)	जबलपुर	Clinker Grinding Unit	For ToR	स्पष्टीकरण एवं Delisted
29.	P2/65/2024	1 (a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
30.	P2/66/2024	1 (a)	झाबुआ	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत
31.	P2/67/2024	1 (a)	सीहोर	पत्थर खदान	For ToR	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 9691/2023 मेसर्स हर्ष समाजोत्थान समिति, श्री गजराज प्रजापति, अध्यक्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खड्डी, गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)-471515, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.615 हेक्टेयर, खसरा 2589पी, ग्रमजुझारनगर, तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2023में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान वर्जन पहाड़ी पर स्थित है तथा विशिष्ट प्रजाति के करधई के वृक्षों से अच्छादित है जो पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है तथा इसका आस-पास के क्षेत्र के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। यद्यपि प्रकरण में SEAC द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु 1700 पौधों का वृक्षारोपण किया जाना अनुशंसित किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किस प्रजाति के पौधों का एवं किस स्थल पर किया जाना है। इसके अतिरिक्त गैर खनन क्षेत्र छोड़ने के फलस्वरूप 2.2 हेक्टेयर खनन योग्य क्षेत्र शेष होना अनुशंसित किया गया है, लेकिन तदानुसार

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वीं बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

उत्पादन क्षमता में संशोधन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र.10983/2023परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र जाट पुत्र श्री हजरत सिंह जाट, निवासी, हनुमान कॉलोनी, गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 1018/6, ग्राम बजरंगगढ़, तहसील गुना, जिला गुना(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. गूगल ईमेज पर खदान क्षेत्र के आस-पास परिलक्षित खनन कार्य के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी का विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 10984/2023परियोजना प्रस्तावक मेर्सस ओम स्टोन क्रेशर, पार्टनर, श्री वेद प्रकाश शर्मा आत्मज श्री जी.एल. शर्मा, निवासी गौतम बिहार कॉलोनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 30500 व मुरुम 2550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1761/1, 1761/2, 1762/1, 1762/2, 1762/3, ग्राम बामौर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. गूगल ईमेज पर खदान क्षेत्र के आस-पास परिलक्षित खनन कार्य के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी का विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 10985/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पुनीत अग्रवाल आत्मज श्री प्रमोद अग्रवाल, निवासी पुरानी गल्ला मंडी, जिला गुना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 2/1 मिन-1, ग्राम पिपरौदाखुर्द, तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10986/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रबल प्रताप सिंह रघुवंशी आत्मज श्री जयप्रकाश सिंह रघुवंशी, ग्राम पछाड़ीखेड़ा रोड़, अशोकनगर, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10830 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 26, 16/2, ग्राम बांसरा, तहसील शाढ़ौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 10987/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री ओमप्रकाश अहिरवार आत्मज श्री मिश्री लाल अहिरवार, निवासी मकान नं. 1423, तिलहरी, रेल्वे स्टेशन के पास, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16625 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 226, ग्राम जमुनिया, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के पत्र क्र. 2152 दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से 03 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 07.09.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जबलपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10988/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक जैन निवासी हाटपुरा, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 140, ग्राम बड़गांव, तहसील आगर, जिला आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के पत्र क्र.189 दिनांक 26.06.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति एवं आदेश क्र. 769 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से 06.10.2018 से 05.10.2028 तक (दस वर्ष) सहमति प्रदान की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 05.10.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य के लिये प्रतिबंधित बैरियर जोन में तथा आस-पास उत्खनन हुआ है ऐसा गूगल ईमेज से प्रतीत हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी यह अभिप्रमाणीकरण प्राप्त करें कि अवैध खुदाई नहीं है और यदि यह अवैध खुदाई है तो जिला खनिज अधिकारी खनिज नियमों के प्रावधानों के तहत इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10989/2023 परियोजना प्रस्तावक मोहित सिंह परिहार आत्मज श्री शेषराज सिंह परिहार, निवासी मकान नं. 516, ग्राम अमकुई, तहसील नागौद, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.912 हेक्टेयर, खसरा 91/4, ग्राम भूरुहरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 17546-548 दिनांक 07.10.2015 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.10.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क एवं नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

9. प्रकरण क्र. 10990/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर आत्मज श्री गिरधारीलाल कुमावत, निवासी मकान नं. 144, वार्ड नं. 5, कृष्णा मंदिर के पास, कुमावत मोहल्ला, पोपलखुनटा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 172, ग्राम सरवानी खुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10991/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री नारायण नायक आत्मज श्री गौरीशंकर नायक, निवासी ग्राम यशवंत नगर, पोस्ट नैनावद, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 141पी, ग्राम यशवंतनगर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से लगभग 45 मीटर की दूरी पर मानब बसाहट परिलक्षित है, माननीय एनजीटी के ओ.ए. नं. 304/2019 के अनुसार मानब बसाहट से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10992/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सैय्यद अफसार अली आत्मज श्री वाहिद अली, निवासी वाहिद विला, वाहिद नगर ओल्ड बायपास, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 3/1/1/1, ग्राम साँवलियारुण्डी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10993/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेन्द्र सिंह दिखित आत्मज श्री जगमोहन सिंह दिखित, निवासी वार्ड नं. 37, शांति नगर कॉलोनी, पुराना बिजावर नाका, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 656पी, ग्राम कैंडी, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

SEAC द्वारा प्रकरण में यह अनुशंसित किया गया है कि उक्त खदान पहाड़ पर स्थित है एवं पहाड़ी क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र (लगभग 0.24 हे.) के रूप में छोड़ा गया है एवं अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुशंसित की गई है।

यदि खनन क्षेत्र कम किया गया है तो क्या खनन योग्य शेष क्षेत्र में से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 16000 घनमीटर प्रतिवर्ष प्राप्त हो पायेगी ? अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10994/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह आत्मज मानसिंह, निवासी वार्ड नं. 02, ग्राम पिपलिया नानकर, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 9086 व एम-सेण्ड 6006 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 483, ग्राम कलारिया, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर-मालवा के पत्र क्र. 82 दिनांक 09.10.2023 एवं पत्र क्र. 954 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 08.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) आगर-मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 10995/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सोलंकी आत्मज यंशवत सोलंकी, निवासी खंडवा रोड, सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 22116 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 156/1, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2 ग्राम खुडगांव, तहसील सनावद, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुत संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त संशोधित अनुमोदित खनन योजना को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन ADS के माध्यम से अपलोड किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। अतः सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 11061/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रघु प्रेमसर मुडंला हाईवेज प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति श्री कैलाश रघुवंशी, निवासी 381, मेन रोड, दुर्गा नगर, जिला विदिशा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 225000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.750 हेक्टेयर, खसरा 256, ग्राम अलापुरा, तहसील बडौदा, जिला श्योपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर अनुज्ञा पत्र क्र. 782 दिनांक 27.01.2023 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 31.10.2024 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) श्योपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

16. प्रकरण क्र. 10737/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण राठौर आत्मज श्री रमेशचन्द्र राठौर, निवासी—पिसनावल, तहसील सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3000 एवं एम.सेण्ड 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 397, ग्राम पिसनावल, तहसील सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वी बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर बड़वानी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारों ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि-स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार:—

समिति के संज्ञान में आया कि प्रकरण समिति की 723वीं बैठक दिनांक 16/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें खनन योजना पेज 13 पर गिट्टी 300 घनमीटर/वर्ष एवं एमसेण्ड 4000 घनमीटर/वर्ष का उल्लेखित हो गया है। जिसके स्थान पर खनन योजना पेज 13 पर गिट्टी 3000 घनमीटर/वर्ष एवं एमसेण्ड 4000 घनमीटर/वर्ष पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य किया जाता है।

17. प्रकरण क्र. P2/23/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजपाल सिंह राठौर आत्मज श्री तेजपाल सिंह राठौर, निवासी— गुनाखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 338, ग्राम पिपल्याकलां, तहसील आगर, जिला आगर—मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वीं बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार :-

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसमें गूगल इमेज कॉलम में दक्षिण पश्चिम दिशा - संरचना लगभग 188 मी. उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 724वीं बैठक दिनांक 17/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के गूगल इमेज कॉलम में दक्षिण पश्चिम दिशा - संरचना लगभग 188 मीटर के स्थान पर पश्चिम दिशा - संरचना लगभग 288 मीटर पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए अधिरोपित शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

18. प्रकरण क्र. P2/03/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष त्रिवेदी आत्मज श्री मनोज त्रिवेदी, निवासी- जैतापुर, सनावद रोड़ जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.902 हेक्टेयर, खसरा 477/1, 477/5, 476/2, ग्राम इदारतपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वीं बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार :-

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके बिंदु कमांक-2 में "खदान क्षेत्र में 23 पेड़ हैं जिनमें से 15 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड़ काटने से पूर्वसक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे एवं जिस प्रजाति के पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 270 पेड़ लगाये जाना उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 722वीं बैठक दिनांक 15/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के बिंदु कमांक-2 में खदान क्षेत्र में 23 पेड़ हैं जिनमें से 15 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक पेड़ काटने से पूर्वसक्षम अधिकारी की अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे एवं जिस प्रजाति के पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है उसी प्रजाति के अतिरिक्त 150 पेड़ लगाये जाना पढ़ा जावे, शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए अधिरोपित शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

19. प्रकरण क्र. P2/58/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश परमार आत्मज श्री किशोरीलाल परमार, निवासी-ग्राम शाहपुरकोडिया, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 10, ग्राम धबोटी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार:-

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसके बिंदु क्रमांक-3 एवं अन्य पैरा में खनन कार्य मात्र 1.13 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा उल्लेखित हो गया है।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक-3 एवं अन्य पैरा में खनन कार्य मात्र 1.13 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा के स्थान पर खनन कार्य मात्र 2.87 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, में ही खनन किया जावेगा पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्त यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए अधिरोपित शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

20. प्रकरण क्र. P2/29/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह आत्मज श्री अंजनी कुमार सिंह, निवासी- ग्राम जरहा, पोस्ट मनगंवा, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35550 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 432, ग्राम सीतापुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार:-

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा शिया को प्रेषित की गई है, जिसमें स्टोन - 35,550 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष उल्लेखित हो गया है जबकि सभी दस्तावेजों में Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year होना चाहिए ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित स्टोन - 35,550 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष के स्थान पर Stone-12093, M-Sand-28217 cum per year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्त यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए अधिरोपित शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

21. प्रकरण क्र 9837/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नि श्री शम्भू सिंह निवासी- ग्राम फुलवारी, पोस्ट पोंडी, नौगई जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 39960 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.650 हेक्टेयर, खसरा 262/1, 262/2, 263/1, 263/2, 266/1, ग्राम फुलवारी, तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्तविशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 730 वी बैठक दिनांक 18.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु पुनः की गई अनुशंसानुसार:-

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 725वीं बैठक दिनांक 20/02/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा शिया को प्रेषित की गई है, जिसमें त्रुविवश निम्नानुसार अंकित हो गया :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 10.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.37 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीमद से प्रस्तावित गतिविधि . आर. इ.	राशि (में . रु)
ग्राम तेलियाथाड़ के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि भूप्रवेश के 03 माह के अंदर जमाकरी जावेगी	70,000/-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2220 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम आंवला, मुनगा हाइब्रिड सीता फल, गुआवा, कटहल अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	575
2	उत्खनि पट्टा में उपलब्ध गैर खनन क्षेत्र में	आमआंवला, मुनगाहाइब्रिडए सीताफल, गुआवा, कटहलअचारआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
3	परिवहन मार्ग में (1.5 मी. से अधिक ऊंचाई के पौधों)	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	150
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहलआदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1345
5	ग्राम तेलियाथड में स्थित ग्राम पंचायतमें ट्री-गार्ड के साथ	कदम्ब, करंज,नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे, अन्य शेष शर्तें यथावन रहेंगी :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.88 लाख प्रति वर्ष ।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीत गतिविधिमद से प्रस्तावि . आर. इ.	राशि (में . रु)
ग्रामफुलवारी के ग्रामीणों के लिए रोगी कल्याण समिति व सरंचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 3 माह के अंदर फण्ड ट्रांसफर कर दिया जावेगा	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2050 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन के अंतर्गत	कालासिरिस, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	600
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	200
3	पास के गांव में पौधों का वितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	1250

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

कुल

2050

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 730वी बैठक दिनांक 18.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए अधिरोपित शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

22. प्रकरण क्र. P-2/59/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री भगवती शर्मा आत्मज श्री प्रभुदयाल शर्मा निवासी—मकान नं. 128, भाटनागर वाली गली, शिक्षक कॉलोनी, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 136, ग्राम बडेराबुजुर्ग, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 9936 दिनांक 03.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) ग्वालियर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. P-2/60/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री कमल सिंह केशरिया, आत्मज श्री मदनसिंह केशरिया, निवासी, 81, पटेल मोहल्ला, ग्राम गंगापुर, तहसील बदौद जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम-सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 8100 एवं एम-सेण्ड 5130 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 291, 292, ग्राम गंगापुर, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 13085 दिनांक 03.10.2023 के माध्यम से 10 वर्ष हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) आगर-मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा एवं पेडो झाड़ियों से आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 9483/2022 श्रीमती काली बाई पत्नि श्री नानालाल वासुनिया, निवासी 62, सरनाथ कॉलोनी, बिजलपुर, जिला इंदौर (म.प्र.), द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.322 हेक्टेयर, खसरा 237, ग्राम मालाखेड़ी, तहसील सांवर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 3785-95 दिनांक 23.03.2022 से 10 वर्ष हेतु लीज स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.03.2022 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) इन्दौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार शमसान घाट की ओर 1.0 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा एवं वहां पर कर्टेन वॉल बनाई जाये एवं चारो ओर बरगद, पीपल व नीम आदि के 1 मीटर से बड़े पौधों का रोपण किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



- (v) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बेरियर जोन में स्थित वृक्षों को नहीं काटा जावेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 9392/2022 —परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राज मिनरल्स प्रोपराईटर, श्रीमती रंजू गोयल पत्नी श्री प्रदीप कुमार गोयल, निवासी वार्ड नं 9, शहडोल, जिला शहडोल(म.प्र.) द्वारा लेटराईट, आँकर एवं व्हाईट क्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता लेटराईट 10,080 टन प्रतिवर्ष, आँकर 50,220 टन प्रतिवर्ष एवं व्हाईट क्ले 5,580 टन प्रतिवर्ष, रकबा 7.768 हेक्टेयर, खसरा 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 282, ग्राम मझौली-टिकरादुधी, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 605वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731 वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु की गई अनुशंसानुसार :-

".....After discussion the Commiittee accepted the PP request and recommended the following Proposed Capacity of minerals, as mentioned in the given below table.


Proposed Capacity of minerals as	LATERITE : 10,080 TPA, OCHRE: 50,220 TPA, WHITE CLAY: 5580 TPA
----------------------------------	--

The remaining conditions for ToR shall remain same as recommended in 605th dated 10-11-2022 TOR....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 731वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 की अनुशंसानुसार उत्पादन क्षमता लेटराईट 1,39,944, आँकर 11,900 एवं व्हाईट क्ले 5,100 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर लेटराईट 10,080, आँकर 50,220 एवं व्हाईट क्ले 5,580 टन प्रतिवर्ष पठन किये जाने का संशोधन स्वीकृत किया जाता है एवं ToR पत्र की शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

26. प्रकरण क्र. P- 2/61/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री मयूर पटेल, निवासी — ग्राम —कुंडिया, तहसील एवं जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25220 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.999 हेक्टेयर, खसरा 101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1, ग्राम लोनसारा बुजुर्ग, तहसील व जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वीं बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति एवं शर्तों के अनुपालन की जानकारी के साथ परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण के सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे।

27. प्रकरण क्र. P- 2/62/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिमन्यु चौहान, निवासी - रीवा रोड़, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.999 हेक्टेयर, खसरा 903/3, 903/7, ग्राम बठिया, तहसील मैहर एवं जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित आबादी से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 844वी बैठक दिनांक 23.04.2024  
का कार्यवाही विवरण

28. **Case No P-2/64/2024:** Prior Environment Clearance for Expansion in Clinker Grinding Unit from 500 TPD to 3500 TPD, at Khasara no 297/1, 297/2, 298/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 320, 298/1, 299, 321 Village- Joghhdhana, Tehsil Bargi Dist Jabalpur (M.P.) by JABALPUR CEMENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, 438, Opp. Petrol Pump, Krishi Upaj Mandi - Jabalpur, Distt. - JABALPUR (M.P.). 482002. (IND1/453551/2024) Env. Consultant Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.). ToR.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में वर्तमान तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार किये जाने के संबंध में सम्पूर्ण विवरण तथा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन एवं स्थल पर निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी सहित परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण के सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होंगे।

29. प्रकरण क्र. P- 2/65/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री केशरीमल कुमावत, निवासी – वार्ड नं. 17, छाछाखेड़ी, तहसील जिरान, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1000 एमटीपीए, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 2095, ग्राम कनघटटी, तहसील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें भी परिलक्षित हैं जिससे उक्त प्रकरण 5 हेक्टेयर से अधिक का प्रतीत होता है एवं SEAC द्वारा प्रकरण में उत्पादन क्षमता 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष अनुशंसित की गई है जबकि ऑनलाईन फार्म व अनुमोदित माईनिंग प्लान में उत्पादन क्षमता 1000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष अंकित है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



30. प्रकरण क्र. P- 2/66/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री बाबू सिंह, निवासी – जूनी रामभापुर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3522 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.900 हेक्टेयर, खसरा 193, ग्राम नवापाड़ा, तहसील मेघनगर जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. गूगल ईमेज पर खदान क्षेत्र के आस-पास परिलक्षित खनन कार्य के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित जानकारी का विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

31. प्रकरण क्र. P- 2/67/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रतीक मित्तल, निवासी – 42 ग्लोबस सिटी, चूनाभट्टी, कोलार रोड़ जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान(ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100001.6 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.765 हेक्टेयर, खसरा 130/105, ग्राम बामलादाद, तहसील इछावर जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 731वी बैठक दिनांक 19.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (संलग्नक-डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के आस-पास स्थित कृषि भूमि के Mitigative Measures का ध्यान रखते हुए विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।



(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष